कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3298/11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, लखनऊ, दिनांकः मई 13 ,2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3532 हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित ऑनलाइन प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल, लखनऊ तथा वन संरक्षक, आगरा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। ऑनलाइन प्रस्ताव का भारत सरकार की गाइडलाइन/एक्ट/प्राविधानों के अनुसार परीक्षण किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों एवं संस्तुति सहित प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 (यथा संशोधित 1988 एवं 2023) के धारा–2 के अन्तर्गत विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करने की कृपा करें।

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड है।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वनभूमि की गणना ऑनलाइन अपलोड है।
4. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश ऑनलाइन अपलोड है।
5. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
6. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित SoI Toposheet & Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
7. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष सोनभद्र वन प्रभाग में चयनित दुगने अवनत वनभूमि का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
9. प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न है।
10. प्रस्ताव में 10 किमी की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
11. भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
12. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता/प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
14. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
15. विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार के "परिवेश 1.0" पर अपलोड किया गया है, जिस कारण से प्रधान मुख्य वन संरक्षक/परियोजना जॉच समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नकः–संस्तुति पत्र।

भवदीय,

13.05

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3298 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज एवं मैनपुरी।
4. महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस–116, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

13.05

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/21539/2016

➢	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल, लखनऊ तथा वन संरक्षक, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पायी गयी है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल, लखनऊ तथा वन संरक्षक, आगरा की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
➢	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	

(अखिल कुमार वर्मा)

तिथि :–

हस्ताक्षर :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ

नाम :–

सरकारी मुहर :–